

राजस्थान राजकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक: प 10(न.पा.) (गठन) () (व.धो.) डीएलवी / 23 / २०५६ दिनांक ०९/०६/२०२३

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संकेतन के अनुच्छेद 243 वा के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा ३ की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (ii) के खण्ड (ग) संपर्कित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भागको को दृष्टिकोण से तुम्हारी राज्य सरकार निम्नान्वित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत कटूमर (जिला अलवर) को समिलित करते हुए एवं द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है।

क्र.सं	प्रिवा	नवगठित नगरपालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01	अलवर	कटूमर	ग्राम पंचायत कटूमर की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम कटूमर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को समिलित करते हुए (जनसंख्या - 10,428) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023-24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटूमर के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को समिलित करते हुए (जनसंख्या - 10,428) सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विधमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेंगी। विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दि. 1/6/21 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटूमर के निर्वाचित सरपंच/उप सरपंच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में कंमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदय कटूमर शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प 10(न.पा.) (गठन) () (व.धो.) डीएलवी / 23 / २०५७-२०४३ दिनांक : ०९/०६/२०२३

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, मा ननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव, राज्य निर्वाचित आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
07. सचिव/ आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में समिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अधिग्राम कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, वो अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर/निदेशक, स्थानीय निधि अकेडमी विभाग, राज. जयपुर।
09. संघागीय आयुक्त जयपुर/जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।/पी.आर.ओ. निदेशालय।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अक राज. राजपत्र प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार/राग्रस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर।
13. उप निदेशक (टोक्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समरत राजस्थान।
14. नोडल अधिकारी, वेवराईट, निदेशालय को वेवराईट पर अपलोड करने हेतु।
15. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत कटूमर (अलवर) (राज.)।
16. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी